<u>न्यायालय : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम, बिरौल।</u>

CR. No. 463/2015
CIS No. 463/2015

नथुनी पौद्दार बनाम अज्ञात

दिनांक	आदेश	
28.08.2026	अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह परिवाद वर्ष 2015 का है। द0प्र0सं0 की धारा 156(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने हेतु संबंधित थाना भेजा गया। उक्त प्रतिवेदन की मांग कई बार संबंधित थाना प्रभारी से किया गया, लेकिन आज तक अप्राप्त है तथा निकट भविष्य में भी प्राथमिकी एवं अंतिम–प्रपत्र–सह–प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। सूचक कई तिथियों से अनुपस्थित है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभिलेख का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जाता है कि भविष्य में जब कभी भी प्राथमिकी एवं अंतिम–प्रपत्र–सह–प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध होता है तब कार्यालय इस अभिलेख को पुनः न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कार्यालय सहायक को आदेशित किया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में सशर्त जमा करें। (लेखापित) अ.मु.न्या.दंडा–प्रथम, बिरौल।	